न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **गितेश श्री मालवीय,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 39/2022 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 09.02.2022
G.C.M.S. NO. :- 2022/39

भंवर सिंह पिता मनोहर सिंह जाति राजपूत उम्र 65 वर्ष, निवासी–जोयड़ा, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–अपीलांट

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 बनाराजगी निर्णय दिनांक 08.07.2021 न्यायालय तहसीलदार भूपालसागर, प्रकरण संख्या 31/2021

उपस्थितिः–1– श्री खुमराज कुमावत, अधिवक्ता अपीलांट
2– श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 30.09.2022

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवार हल्का निलोद के द्वारा मौजा जोयड़ा की आराजी नम्बर 745 रकबा 0.06 हैक्टेयर भूमि पर नाजायज कब्जा बताते हुए 70 मीटर की 8–10 फीट उंची दीवार निर्माण कर अवैध अतिक्रमण के संबंध में की गई रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट का अतिक्रमण मानते हुए अपीलांट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज करते हुए दिनांक 08.07.2021 को अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिए

प्र. सं. 39/2022 (रा. अ.)
भंवर सिंह पिता मनोहर सिंह राजपूत निवासी जोयड़ा तहसील भूपालसागर बनाम राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भूपालसागर

अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा लगान 1.00 रू. का पचास गुणा यानि 50/- रूपये शास्ति वसूली के आदेश पारित कर दिये जो अपने आप में अवैधानिक होकर अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार, भूपालसागर से पत्रावली प्राप्त होने एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि पटवार हल्का निलोद के द्वारा तहसील भूपालसागर के ग्राम जोयड़ा की आराजी नम्बर 745 रकबा 0.06 हैक्टेयर भूमि पर अपीलांट का नाजायज कब्जा बताते हुए 70 मीटर की 10 फीट उंची दीवार बना अवैध अतिक्रमण बताते हुए रिपार्ट कि जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जमाबन्दी सम्वत् 2078 को आधार मानते हुए उक्त भूमि को किस्म चरनोट बताकर दिनांक 08.07.2021 को अपीलांट पर शास्ति एवं उक्त भूमि से बेदखल करने का विवादित आदेश पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त विवादित आदेश पूर्णतः विधि-विरूद्ध होकर प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य है क्योंकि उक्त भूमि पर पुराने कब्जे के आधार पर अपीलांट के पुत्र कालू सिंह के नाम पर सन् 1996 में ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि आराजी नम्बर 745 में से दिनांक 28.10.1996 को विधिवत् पट्टा जारी हुआ जिसके पट्टा संख्या 933 है एवं उक्त भूखण्ड के चारों तरफ आबादी भूमि होकर आवासीय मकान बने हुए हैं और ग्रामीण निवास कर रहे हैं। उक्त आराजीयात पूर्व में आबादी दर्ज रही है उसी दौरान ग्राम पंचायत ने अपीलांट को विधिवत् पट्टा जारी किया है तथा उक्त भूखण्ड की देखरेख, उपयोग-उपभोग अपीलांट स्वयं एवं उसका परिवार करता रहा है तथा उक्त भूखण्ड पर निर्मित भाग में अपीलांट एवं उसका परिवार निवास कर रहा है तथा बाकी भाग पर अपीलांट मवेशियों के आवास व घास वगैरा के रख-रखाव हेतु बाडे के रूप में 50 वर्ष से अधिक समय से उपयोग-उपभोग कर रहा है। अपीलांट द्वारा नए सिरे से कोई अतिक्रमण नहीं किया है बल्कि मौके पर चारों तरफ घनी आबादी बसी हुई है इस प्रकार घनी आबादी में से किसी एक व्यक्ति को मोहरा बनाकर उसके खिलाफ 91 की कार्यवाही नहीं की जा सकती है जबकि

उक्त आराजी पूर्व में भी आबादी में दर्ज रही है बाद में सेटलमेंट के दौरान कर्मचारियों ने आनन-फानन में उक्त भूमि को बिलानाम बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के दर्ज करने की विधिक भूल की है। उक्त आराजी नम्बर 745 के साबिक आराजी नम्बर 412 मी. रहे हैं जो सम्वत् 2041 के खसरा पत्रक अनुसार उक्त आराजी बिलानाम रही है। उक्त अपील के निर्णय के समय अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं रहा है अपीलांट की अनुपस्थिति में तथा अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये उक्त विवादित आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट वृद्ध होकर अनपढ़ व्यक्ति है अपीलांट को आदेश दिनांक 08.07.2021 की जानकारी नहीं थी। दिनांक 08.07.2021 से 26.01.2022 तक कुल 171 दिन की देरी, जानकारी के अभाव में हुई दिनांक 26.01.2022 को अपीलांट के गांव के व्यक्ति ने उक्त आदेश होने की जानकारी दी उक्त दिनांक को जानकारी होते ही दिनांक 27.01.2022 को नकल प्राप्त की तथा अचानक अपीलांट का स्वास्थ्य खराब होने से दिनांक 28.01.2022 को निर्णय की नकल अपने अधिवक्ता को नहीं दे सका तथा दिनांक 29.01.2022 व 30.01.2022 को राजकीय अवकाश होने से दिनांक 31.01.2022 को बिना किसी देरी के यह अपील पेश की है फिर भी म्याद को लेकर कोई विवाद नहीं रहे इसलिए धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 08.07.2021 निरस्त फरमाया जावे तथा वर्तमान जमाबन्दी में गलत इन्द्राज को ठीक करा अपीलांट के नाम पट्टे अनुसार नियमन कराने का आदेश प्रदान करावें।

विद्वान राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि प्रश्नगत भूमि वर्तमान में राजकीय चारागाह भूमि है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि से बेदखली एवं शास्ति आरोपित करने का पारित आदेश विधि सम्मत् है।

प्र. सं. 39/2022 (रा. अ.)
भंवर सिंह पिता मनोहर सिंह राजपूत निवासी जोयड़ा तहसील भूपालसागर बनाम राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भूपालसागर

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र के मद्देनजर विलम्ब के संबंध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाना न्यायोचित समझते हैं। तद्नुसार धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आदेशिका दिनांक 22.06.2021 से अपीलांट को धारा 91 का नोटिस जारी कर वास्ते सुनवाई हेतु दिनांक 08.07.2021 को उपस्थित होने बाबत निर्देशित किया है तथा आदेशिका दिनांक 08.07.2021 अनुसार, दिनांक 08.07.2021 को ही पत्रावली में निर्णय पारित करते हुए अपीलांट को बेदखल करने व शास्ति आरोपित करने का आदेश पारित किया जाना प्रतिवेदित है।

अपीलांट ने विवादित आराजीयात आराजी नम्बर 745 सेटलमेंट से पूर्व बिलानाम/आबादी में दर्ज होना बताया है तथा वर्तमान में भी विवादित आराजी नम्बर 745 के आसपास के आराजी नम्बर 753, 754, 748, 749, 750, 751, 752, एवं 755 के कुछ भाग भी आबादी में होना बताते हुए विवादित आराजीयात, घनी बसी हुई आबादी के बीच में होना बताया है। साथ ही अपीलांट ने ग्राम पंचायत निलोद द्वारा विवादित आराजीयात में ही अपीलांट के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 933 दिनांक 28.10.1996 की प्रति भी प्रस्तुत की है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विधिवत् सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा प्रथम तारीख पेशी पर ही दिनांक 08.07.2021 को उक्त विवादित आदेश पारित कर दिया गया जो कि अनुचित होकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है।

यहां हम यह उल्लेख करना चाहेंगे कि कोई भी निर्णय पारित किये जाने से पूर्व पक्षकारों को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विधिवत् सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करना नहीं पाया जाता है जो कि नैसर्गिग न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।

निष्कर्षतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 08.07.2021 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य, सबूत पेश करने का अवसर प्रदान कर, अपीलांट द्वारा पेश पट्टे, मौका एवं सेटलमेंट से पूर्व के राजस्व रेकार्ड इत्यादि के संबंध में जांच करें तथा अपीलांट को विधिवत् सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर नए सिरे से विधि–सम्मत् निर्णय पारित करें।

''निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।''

(गितेश श्री मालवीय)